

स्वतंत्र प्रभात



@swatantraprabhatmedia
@swatantramedia
RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com)
@SwatantraPrabhatonline
news@swatantraprabhat.com

सीतापुर, शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026
 वर्ष 14, अंक 356, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित
 P M O में शिकायत के बाद बड़ा एक्शन: शिक्षा मंत्रालय स्वस्थ, यूपी में निजी स्कूलों की गनगानी पर जांच के आदेश ..04

जिनकी अपील मंजूर, वो दे सकेंगे वोट... बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बंगाल में एसआईआर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन व्यक्तियों की अपील अपीलीय ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) द्वारा मंजूर की जाएगी, उन्हें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा स्थापित बहुस्तरीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील स्वीकार कर ली जाती है, समावेशन या अपवर्जन के लिए कोई निर्णायक निर्देश जारी किया जाता है, तो ऐसे निर्देशों को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान करने से पहले विधिवत रूप से प्रभावहीत किया जाना चाहिए।

जिनकी अपील मंजूर, वो दे सकेंगे वोट

राज्य में पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को है। दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले फेज की वोटिंग में राज्य के 152 चुनाव क्षेत्रों में जिन वोटर्स के नाम ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर किए गए हैं, 21 अप्रैल तक वोट देने की इजाजत दी गई है, उन्हें वोट देने की इजाजत दी जाएगी। दूसरे फेज के लिए डेडलाइन 27 अप्रैल है, अगर ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन को मंजूर देता है



तो वे लोग वोट दे पाएंगे। हालांकि, जिन वोटर्स के नाम ट्रिब्यूनल द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं, वे वोट नहीं पाएंगे। जिन मतदाताओं को ट्रिब्यूनल की ओर से मंजूरी दी जाएगी, उनके लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरे मतदाता सूची जारी की जाएगी। उस सूची के आधार पर मतदाता मतदान कर पाएंगे। चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन कमीशन ने वोट लिस्ट को 'फ्रीज' कर दिया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया है।

SC ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का किया प्रयोग

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल वोटिंग से दो दिन पहले तक विचाराधीन वोटर्स के एप्लीकेशन के निपटारे के बाद लिस्ट में उनके नाम शामिल करने के लिए क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करेगा। हालांकि, विचाराधीन वोटर्स के एप्लीकेशन का निपटारा ट्रिब्यूनल को ही करना होगा। सिर्फ वहां अप्लाई करना काफी नहीं होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू होने

से पहले बंगाल में कुल 7,66,37,529 मतदाता थे। 28 फरवरी को आई पहली सूची में ही करीब 63.66 लाख नाम हटाए गए थे, जबकि 60,06,675 नामों को विचाराधीन श्रेणी में रखा गया था। इनमें से 27 लाख 16 हजार 393 लोग अयोग्य पाए गए, जबकि 32 लाख 68 हजार 119 को पात्र मानकर सूची में बहाल किया गया है। मौजूदा समय में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब 6,77,20,728 रह गई है। सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी कहा कि 16 लाख अपीलें लंबित हैं। कृपया उनका निपटारा किया जाए। जस्टिस बान्जी ने कहा कि हाईकोर्ट सीजे ने हमें रिपोर्ट किया है कि अपीलें 34,35,000 के करीब हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतदाता ने किया स्वागत

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने वहां अप्लाई करना काफी नहीं होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू होने की जाएगी।

कानपुर हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत, वाहन की टक्कर से हुआ हादसा



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। शिवराजपुर में गुरुवार की सुबह हाईवे पर हुए हादसे में बाइक सवार बिदूर थाना क्षेत्र के दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस बाइक में किसी भारी वाहन के टक्कर मार देने से दुर्घटना होने की बात कह रही है। बिदूर के बाकरगंज निवासी 45 वर्षीय विनोद निषाद की बेटी दीक्षा व रिश्तेदार के बेटे पिपूष के साथ किसी काम से बिल्हौर गए हुए थे। गुरुवार को वह सुबह छह बजे बाइक से परिवार के 54 वर्षीय रामनारायण पुत्र कुजीलाल निषाद और बच्चों के साथ बिदूर लौट रहे थे। शिवराजपुर दुबियाना गांव के पास

बाइक में किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में विनोद और रामनारायण व दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

बाइक सवारों ने नहीं लगाया था हेलमेट

बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर हाईवे की एंबुलेंस से सभी को सीएचसी भेजा। जहां विनोद और रामनारायण ने उपचार से पहले पुत्र स्व मोहनलाल बाइक से 10 साल की बेटी दीक्षा व रिश्तेदार के बेटे पिपूष के साथ किसी काम से बिल्हौर गए हुए थे। गुरुवार को वह सुबह छह बजे बाइक से परिवार के 54 वर्षीय रामनारायण पुत्र कुजीलाल निषाद और बच्चों के साथ बिदूर लौट रहे थे। शिवराजपुर दुबियाना गांव के पास

जालंधर और गुरुग्राम में लवली गुप के 10 ठिकानों पर ED की रेड, 24 घंटे तक चली छापामारी; दस्तावेज बरामद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

जालंधर। लवली गुप के संस्थानों पर ईडी की रेड वीरवार सुबह करीब पांच बजे समाप्त हुई। गुप के गुरुग्राम और जालंधर सहित दस जगहों पर ईडी ने जांच की थी। लवली गुप के गुरुग्राम स्थित यूनियन कालेज ऑफ बिजनेस एंड मास्टर्स और टीईटीआर कॉलेज आफ बिजनेस कारण ईडी की जांच जालंधर तक पहुंची। लवली प्रोफेशनल यूनियन ईडी के चांसलर व राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल उनके भाई रमेश मित्तल और नरेश मित्तल के घर कैट, लवली स्वीट्स, लवली प्रोफेशनल यूनियन ईडी जांच के बाद ईडी की टीम कई दस्तावेज और घर व कार्यालयों से कई ईडी ने लवली गुप के गुरुग्राम और जालंधर सहित दस जगह पर जांच करते हुए गुप के विदेशों से लेनदेन का रिकार्ड रेड की थी। जालंधर कैट स्थित अशोक मित्तल के दोनों निवास, लवली स्वीट्स, लवली आटो के साथ लवली प्रोफेशनल यूनियन ईडी में ईडी की रेड हुई जिसका नेतृत्व दिल्ली की टीम कर रही थी। जालंधर की ईडी की टीमों ने बुधवार सुबह करीब



पांच बजे रेड की जो वीरवार सुबह पांच बजे खत्म हुई। लवली प्रोफेशनल यूनियन ईडी के चांसलर अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया था। ईडी फिलहाल इसे फारेन एक्सचेंज मेनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत जांच की बात की है। ईडी ने लवली गुप के गुरुग्राम और जालंधर सहित दस जगह पर जांच करते हुए गुप के विदेशों से लेनदेन का रिकार्ड रेड की थी। जालंधर कैट स्थित अशोक मित्तल के दोनों निवास, लवली स्वीट्स, लवली आटो के साथ लवली प्रोफेशनल यूनियन ईडी में ईडी की रेड हुई जिसका नेतृत्व दिल्ली की टीम कर रही थी। जालंधर की ईडी की टीमों ने बुधवार सुबह करीब

सुप्रीम कोर्ट में SIR केस फाइल किया था। इसलिए इस फैसले के बाद उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए नार्थ बंगाल में हैं। उन्हें कूचबिहार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर मिली। कूचबिहार में हेलीपैड पर उतरते ही ममता बनर्जी ने कहा, 'सभी को बधाई, दिनहाट से हेलीकॉप्टर में बैठते ही मुझे खुशखबरी मिली। मैं शुरू से कह रही थी, सभी लोग सब रखें। मैं बहुत खुश हूँ, ज्यूडिशियरी पर गर्व है। मैंने केस फाइल किया, इसलिए आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है।

ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश

ममता बनर्जी ने पार्टी वर्कर्स को खास इस्ट्रक्शन भी दिए, उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल का काम खत्म होने के बाद पार्टी वर्कर्स को की संख्या अब 6,77,20,728 रह गई है। सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी कहा कि 16 लाख अपीलें लंबित हैं। कृपया उनका निपटारा किया जाए। जस्टिस बान्जी ने कहा कि हाईकोर्ट सीजे ने हमें रिपोर्ट किया है कि अपीलें 34,35,000 के करीब हैं।

समय पर पुलिस भर्ती, ट्रेनिंग व सुविधाओं से बना सुरक्षा का बेहतर माहौल: मुख्यमंत्री योगी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोरखपुर- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिसकर्मियों के कार्य की गति बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल बना और सुशासन का बेहतरीन मांडल खड़ा हुआ। योगी गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने दो आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन भवनों में मंदिर सुरक्षा से जुड़े अपर पुलिस वकशॉर्प बनाई गई है। इसके निर्माण पर 9.18 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा, सुशासन की पहली शर्त होती है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। पर, हम उसका एक ही

पक्ष देख पाते थे। पुलिस का सामान्य सिपाही हो या सब इंस्पेक्टर व डिप्टी एसपी, यदि उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी एक कॉमन मैन (सामान्य व्यक्ति) ही होगा। पहले की सरकारों में भर्ती, ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि बहुत से नौजवान पुलिस भर्ती में नहीं आना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे में वर्ष 2017 के बाद आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि 9 साल पहले जब उनकी सरकार आई तो उस समय पुलिस बल में आधे से अधिक पर खाली थे। बीते 9 वर्षों में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कर्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। 2017 में पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय में 3 हजार से अधिक नहीं थी, जबकि वर्तमान में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का परिणाम है कि अब एक समय में 60 हजार पुलिस कर्मिकों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। समय पर लिए गए निर्णय, और समय पर दिए गए संसाधनों के परिणामस्वरूप पुलिस को 200 गुना अधिक सुविधाओं से सम्पन्न किया गया है। योगी ने कहा कि पहले थाना हो, चौकी



बेटियों को नहीं निकाल सके। गुरुवार सुबह जब मलबे की तलाशी ली गई तो दोनों बच्चियों के शव मिले। बेटियों के शव देखते ही सतीश बेसुध हो गए और बिलखते हुए बोले गृहस्थी के साथ मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। गाजीपुर सिकिल के एसीपी ए. विक्रम सिंह के मुताबिक, मलबे से बरामद दोनों शव सतीश की बेटियों के हैं। बताया कि मामले की जांच चल रही है। राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ और एनजीआरएफ की टीमें भी जुटी हुई हैं।

पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों को दफनाया

पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव मिलने के बाद जल्दी ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। करीब 11 बजे दोनों के पोस्टमार्टम हुए और फिर पुलिस ने शव को सिपुर्द कर दिया। इसके बाद

पुलिस की मौजूदगी में सतीश ने दोनों बच्चियों के शव को दफनाया और वह परिवार के साथ बाराबंकी गांव चले गए। इस दौरान वह दोबारा उस जगह भी नहीं गया जहां झुग्गी झोपड़ी बनी थी।

पार्क में लेटे रहे कई परिवार, नहीं रुके किसी के आसू

प्रशासन ने कुछ परिवारों को रात में ही रैन बसेरों में ठहराया, जबकि कई लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हुए। इलाके में तनाव की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

अधिकारी बेघर हुए परिवारों की सूची तैयार कर रहे हैं, हालांकि मुआवजे को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। डीसीपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही सभी फायर स्टेशनों से गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और लगातार राहत कार्य जारी है।



अपराधी को पकड़कर लाती थी तो उसे रखने की व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे मौकों पर पुलिस असहाय दिखती थी। कई बार अपराधी भाग भी जाता था। लेकिन, पुलिस को अब असहाय बनने की आवश्यकता नहीं है। अब अपराधी भाग नहीं सकता, क्योंकि उसे थाने में ही रोककर रखने की सुविधाएं दी गई हैं। अब कोई थाने पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए अलग से बेहतरीन सुविधाओं से युक्त बैरक बनाए गए हैं। हर समय, हर थाने में पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक उपलब्ध होंगे। जो थाने की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, उसका काम तमाम करने के लिए पुलिसकर्मियों मुस्तेदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता दिखाई देगा। इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, मुख्यमंत्री के सलाहकार अक्वीश अवस्थी, एडीजी गोरखपुर जेन मथुरा अशोक जैन, एडीजी सुरक्षा तरुण गाबा, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे।


धोखे से मतांतरण राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, TCS नासिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। नासिक में बहुराष्ट्रीय कंपनी टीसीएस में मतांतरण एवं यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें धोखाधड़ी से होने वाले मतांतरण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका टीसीएस के नासिक कार्यालय में आठ महिला कर्मियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न व जबरन मतांतरण के आरोपों की पुष्टभूमि में दायर की गई है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि धोखे से मतांतरण न सिर्फ संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि धार्मिक, गरिमा, एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को मतांतरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

धोखाधड़ी से मतांतरण रोकने की मांग

साथ ही केंद्र और राज्यों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने और यह घोषित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है कि धोखे से मतांतरण पर सजा एक के बाद एक चलेंगी, न कि साथ-साथ। याचिका में कहा गया है कि 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार' में धोखाधड़ी, बल, जबरदस्ती या छल से दूसरों का मतांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है। अनुच्छेद-25 सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन रहते हुए अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। उपाध्याय ने यह याचिका अपनी एक लंबित याचिका के सिलसिले में दायर की है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों को मतांतरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है।



मुस्लिम पर्सनल ला के विरुद्ध याचिका पर केंद्र को नोटिस
मुस्लिम पर्सनल ला (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के कुछ प्रविधानों

की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से जवाब मांगा। इस चुनौती का आधार यह है कि ये प्रविधान कथित तौर पर महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण के दलीलों पर संज्ञान लिया। वह याचिकाकर्ताओं पौलोमी पाविनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की ओर से पेश हुए थे। याचिका में कहा गया है कि शरीयत के मौजूदा विरासत नियम महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। इन नियमों के तहत अक्सर महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों को मिलने वाले हिस्से का केवल आधा या उससे भी कम हिस्सा दिया जाता है।

जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के आरोपों से हिला कॉर्पोरेट तंत्र

[**सिस्टम की परतें खुलीं: शोषण के साथ आस्था पर दबाव के दावे]**
[धर्म और अधिकारों के बीच दबाव की दीवार — आईटी सेक्टर का काला सच]

कॉर्पोरेट दफ्तरों की जगमगाहट, कांच की ऊँची इमारतों का मोहक आभास और ‘प्रोफेशनलिज्म’ के बड़े-बड़े दावे—यदि इनके भीतर भय, शोषण और दबाव का अंधकार नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की गहरी असफलता का संकेत है। अप्रैल 2026 में नासिक स्थित एक आईटी इकाई (टीसीएफ) से सामने आया प्रकरण इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, जहाँ महिला कर्मियों के सपनों को सुनियोजित ढंग से रौंद दिया गया। रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता की आकांक्षा लेकर आई इन महिलाओं को अपने ही कार्यस्थल पर ऐसे असहनीय दबावों का सामना करना पड़ा, जो किसी भी सभ्य समाज के मूल्यों के सर्वथा विपरीत हैं।

यह मामला केवल यौन शोषण के आरोपों तक सीमित नहीं है; इसके भीतर भय, मानसिक उत्पीड़न, धार्मिक आस्था पर दबाव और अधिकारों के खुले दुरुपयोग की कहीं अधिक गंभीर परतें छिपी हुई हैं। सामने आई शिकायतों के अनुसार, कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने महिला कर्मियों पर अनुचित प्रस्तावों, अश्लील टिप्पणियों और निजी संबंध बनाने के लिए निरंतर दबाव डाला। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें पदोन्नति रोकने, नौकरी समाप्त करने और उनके निजी जीवन को बदनाम करने की धमकियाँ दी गईं। सत्ता और पद के बल पर किया गया यह आचरण केवल अनैतिकता की परीका नहीं है, बल्कि

नारी: संघर्ष, संभावनाएँ और समाज की असली परीक्षा

भारतीय संस्कृति में नारी को सृष्टि की जन्नी, शक्ति और संवेदना का स्रोत माना गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है - ‘यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’ - अर्थात् जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। किंतु यह आदर्श वाक्य आज भी व्यवहारिक जीवन में पूर्णतः साकार नहीं हो पाया है। आधुनिकता के इस युग में, जब हम तकनीकी और आर्थिक प्रगति के शिखर को छूने का दावा करते हैं, तब भी नारी अपने मूलभूत अधिकारों, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत है। नारी की समस्याएँ बहुआयामी हैं - सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और सांस्कृतिक। इन समस्याओं को केवल सतही दृष्टि से नहीं, बल्कि उनकी जड़ों तक जाकर समझने की आवश्यकता है। नारी के संघर्ष की सबसे बड़ी वजह समाज की वह मानसिकता है, जो उसे आज भी पुरुष के समकक्ष स्वीकार करने में संकोच करती है। बचपन से ही लड़कियों को मर्यादा, सीमाओं और त्याग का पाठ पढ़ाया जाता है, जबकि लड़कों को स्वतंत्रता और अधिकारों की शिक्षा दी जाती है। यह भेदभाव केवल व्यवहार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे-धीरे एक स्थायी सामाजिक संरचना का रूप ले लेता है। परिणामस्वरूप, लड़की अपने ही अस्तित्व को सीमित मानने लगती है। वह अपने सपनों को छेड़ कर लेती है, अपनी इच्छाओं को दबा देती है, और कई बार अपनी पहचान तक खो देती है। समाज को यह समझना होगा कि नारी कोई ‘कमतर’ इकाई नहीं है, बल्कि वह समान अधिकारों और संभावनाओं वाली एक पूर्ण व्यक्तित्व है।

शिक्षा नारी सशक्तिकरण की आधारशिला है। यह केवल अक्षरज्ञान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और जागरूकता का माध्यम है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी कई लड़कियाँ शिक्षा से वंचित हैं।

गरीबी, सामाजिक रूढ़ियाँ, बाल विवाह और सुरक्षा की चिन्ता - ये सभी कारण लड़कियों की शिक्षा में बाधा बनते हैं। कई परिवार आज भी

स्पष्ट रूप से कानूनन दंडनीय अपराध है, जो किसी भी कार्यस्थल की गरिमा, सुरक्षा और विश्वास को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है।

यह प्रकरण और भयावह तब बनता है, जब स्पष्ट होता है कि यह छि्टपुट घटनाएँ नहीं, बल्कि लंबे समय से सक्रिय संगठित तंत्र का परिणाम था। पुलिस जांच और शिकायतों के अनुसार, आठ महिला कर्मचारियों की नौ एफ.आई.आर्स में सामने आया कि टीम लीडर्स सहित वरिष्ठों ने 2022 से 2026 तक करीब चार वर्षों तक सुनियोजित ढंग से उन्हें निशाना बनाकर दबाव में रखा। पुलिस ने फरवरी से 40 दिन तक महिला पुलिसकर्मियों के जरिए अंडरकवर ऑपरेशन चलाकर साक्ष्य जुटाए। आरोप हैं कि निजी तस्वीरें-वीडियो से ब्लैकमेल करना, नमाज पढ़ने और गोमांस खाने को मजबूर करना, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव और मानसिक रूप से तोड़ना—ये सब उसी तंत्र के औजार थे। यह स्थिति दिखाती है कि जब शक्ति का दुरुपयोग संस्थागत रूप ले लेता है, तो पीड़ितों के लिए आवाज उठाना कठिन और जोखिम भरा हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक पक्ष मानव संसाधन विभाग की भूमिका पर उठते सवाल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश) के तहत हर संगठन में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और समयबद्ध, निष्पक्ष जांच अनिवार्य हैं। इसके बावजूद आरोप हैं कि शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, ईमेल और लिफाफे आवेदन दबाए गए, और पीड़ितों को चुप रहने के लिए मजबूर किया गया—यहाँ तक कि एक एचआर ऑफिसरेंट जनरल मैनेजर को भी अनदेखी के आरोप में गिरफ्तार

संपादकीय, स्वतंत्र विचार

परदर्शिता और विश्वास से बनती है। यह घटना किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे आईटी क्षेत्र में कार्यस्थल की सुरक्षा पर गहरे और असहज प्रश्न खड़े करती है। क्या आधुनिक दफ्तर वास्तव में सुरक्षित हैं, या केवल बाहर से सजे-धजे और आकर्षक दिखते हैं? क्या महिलाओं और अन्य कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ेगा? यह प्रकरण स्पष्ट करता है कि जब तक शिकायत तंत्र मजबूत, पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक किसी भी कानून का प्रभाव सीमित और अधूरा ही रहेगा।

कर्मचारियों के भीतर यह लिप्सा जाए और 90 दिनों में जांच पूरी हो, फिर यहाँ इन प्रबंधानों की खुलेआम अनदेखी की गई। यह मात्र लापरवाही नहीं, बल्कि कानूनी दायित्वों से बचने की प्रवृत्ति का संकेत देता है। ऐसे मामलों में देरी न केवल पीड़ित के मानसिक आघात को गहरा करती है, बल्कि आरोपियों के हैसले भी बढ़ाती है। ‘जैरो टॉलरेंस’ की नीति का हवाला तब खोखला लगता है, जब सवाल उठता है कि वर्षों तक शिकायतें दबने और पीड़ितों की आवाज अनसुनी रहने के दौरान यह लागू क्यों नहीं हुई। टीसीएस द्वारा उच्च प्रबंधन स्तर पर जांच (सीओओ के निर्देशन में) के आदेश और आरोपियों का निलंबन आवश्यक कदम हैं, पर पर्याप्त नहीं—क्योंकि नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइंड सीनेट ने श्रम मंत्रालय से पोश कंप्लायंस ऑफिट की मांग की है। जवाबदेही केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; उसे उन सभी स्तरों तक तय होना चाहिए जहाँ लापरवाही या मिलीभगत रही हो।

कॉर्पोरेट संस्थानों की साख मुनाफे या छवि से नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान,

प्रो. आरके जैन ‘अरिजीत’

अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है - विज्ञान, राजनीति, कला, शिक्षा, व्यवसाय - हर जगह उनकी भागीदारी बड़ी है। फिर भी कार्यस्थल पर उन्हें कई प्रकार के भेदभाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उच्च पदों तक पहुँचने में ‘अदृश्य बाधाएँ’ (त्लस सीलिंग) प्रदोन्नति में असमानता, और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएँ आज भी मौजूद हैं। कई बार महिलाओं को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए पुरुषों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ ही, मातृत्व को कई बार ‘कमजोरी’ के रूप में देखा जाता है, जबकि यह एक स्वाभाविक और सम्मानजनक अवस्था है। कई महिलाएँ अपने करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष में मानसिक दबाव का सामना करती हैं। हर स्थिति न केवल महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि समाज की प्रगति के लिए भी बाधक है।

आज की नारी एक ऐसे दौर में जी रही है, जहाँ उसे परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह एक आदर्श बेटे, बहू, पत्नी और माँ बने, साथ ही एक सफल प्रोफेशनल भी हो। यह दोहरी अपेक्षाएँ कई बार उसे मानसिक तनाव और आत्म-संघर्ष की स्थिति में डाल देती हैं। वह हर भूमिका में ‘पूर्णता’ पाने की कोशिश में स्वयं को थका देती है। समाज को यह समझना होगा कि नारी को किसी एक भूमिका में सीमित करना अन्याय है। उसे अपनी पहचान स्वयं गढ़ने का अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए— बिना अपराधबोध के, बिना दबाव के। आधुनिक मीडिया ने नारी को एक क्विज के साथ विशेष सॉचे में डालने का प्रयास किया है। ‘परफेक्ट’ शरीर, गौरा स्र, आकर्षक व्यक्तित्व - इन सबको सफलता और स्वीकार्यता का मानदंड बना दिया गया है। इसका सीधा प्रभाव युवा लड़कियों के आत्मविश्वास पर पड़ता है। वे अपनी तुलना अवास्तविक छवियों से करने लगती हैं और स्वयं को कमतर महसूस करने लगती हैं। यह आवश्यक है कि समाज नारी को उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा,

परदर्शिता और विश्वास से बनती है।

यह घटना किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे आईटी क्षेत्र में कार्यस्थल की सुरक्षा पर गहरे और असहज प्रश्न खड़े करती है। क्या आधुनिक दफ्तर वास्तव में सुरक्षित हैं, या केवल बाहर से सजे-धजे और आकर्षक दिखते हैं? क्या महिलाओं और अन्य कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ेगा? यह प्रकरण स्पष्ट करता है कि जब तक शिकायत तंत्र मजबूत, पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक किसी भी कानून का प्रभाव सीमित और अधूरा ही रहेगा। कर्मचारियों के भीतर यह लिप्सा जाए और 90 दिनों में जांच पूरी हो, फिर यहाँ इन प्रबंधानों की खुलेआम अनदेखी की गई। यह मात्र लापरवाही नहीं, बल्कि कानूनी दायित्वों से बचने की प्रवृत्ति का संकेत देता है। ऐसे मामलों में देरी न केवल पीड़ित के मानसिक आघात को गहरा करती है, बल्कि आरोपियों के हैसले भी बढ़ाती है। ‘जैरो टॉलरेंस’ की नीति का हवाला तब खोखला लगता है, जब सवाल उठता है कि वर्षों तक शिकायतें दबने और पीड़ितों की आवाज अनसुनी रहने के दौरान यह लागू क्यों नहीं हुई। टीसीएस द्वारा उच्च प्रबंधन स्तर पर जांच (सीओओ के निर्देशन में) के आदेश और आरोपियों का निलंबन आवश्यक कदम हैं, पर पर्याप्त नहीं—क्योंकि नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइंड सीनेट ने श्रम मंत्रालय से पोश कंप्लायंस ऑफिट की मांग की है। जवाबदेही केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; उसे उन सभी स्तरों तक तय होना चाहिए जहाँ लापरवाही या मिलीभगत रही हो।

कॉर्पोरेट संस्थानों की साख मुनाफे या छवि से नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान,

विचार और संवेदना से पहचाने। तकनीकी विकास ने जहाँ महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं, वहीं नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी समस्याएँ तेजी से बढ़ी हैं। महिलाओं को उनके विचारों, तस्वीरों और अभिव्यक्ति के लिए निशाना बनाया जाता है। यह एक नया प्रकार का मानसिक उत्पीड़न है, जो उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। नारी की समस्याओं का समाधान केवल कानून बनाने से संभव नहीं है। इसके लिए समाज की सोच में परिवर्तन आवश्यक है। हर लड़की को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। महिलाएँ अपने अधिकारों को जानें और उनका उपयोग करें। आर्थिक सशक्तिकरण: रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि नारी का कोई समस्या नहीं है, बल्कि वह हर समस्या का समाधान बनती है। यदि उसे अवसर, सम्मान और समर्थन मिले, तो वह समाज को नई दिशा दे सकती है।नारी को केवल ‘संरक्षण’ नहीं, बल्कि ‘सशक्तिकरण’ की आवश्यकता चाहिए। उसे सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मानता चाहिए। दया नहीं, बल्कि अधिकार चाहिए।

नारी का संघर्ष केवल उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है; यह समाज की चेतना और संवेदना की परीक्षा है। जिस दिन हम नारी को उसके पूर्ण अधिकारों और सम्मान के साथ स्वीकार कर लेंगे, उस दिन समाज सच्चे अर्थों में विकसित कहलाएगा। अब समय आ गया है कि हम केवल नारे न लगाएँ, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी नीतियों में वास्तविक केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी है। अब यह देखा जाएगा कि क्या नई सरकार उसी गति से विकास कर पाती है या उससे आगे निकलती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो विश्व को सरकार पर सवाल उठाने का मजबूत आधार मिल जाएगा। विपक्ष की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय सतना दल और उसके नेता तेजस्वी यादव पहले ही इस बदलाव को जनादेश के खिलाफ बता रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में राजनीतिक संघर्ष और तीखा होगा। विपक्ष यह दिखाने की कोशिश करेगा कि यह बदलाव जनता की इच्छ के बजाय राजनैतिक समीकरणां का परिणाम है, जबकि सत्तारूढ़ राजनैतिक

डॉ. अनिल गुमा

बिछुड़ रहे है सब बारी-बारी...

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

एक

ऐसा

वरिष्ठ

नगरिक

केंसरी

क्लब

वर्षीय सुमन कुमार भी इतनी खुश थीं कि मेरे पास शब्द नहीं बचाना करने को। हमारे मेहता जी का मंच संचालन और ब्रांच हैड अंजू जी और को-हैड मेहता जी, किरण और उनके हसबैंड की मेहनत दिख रही थी।

हमारी प्यारी सुमन कुमार मेरे साथ झूम रही थीं। क्योंकि डांस करने का अर्थ है एक तरह की एक्ससाइज। हम सभी सुमन कुमार को प्यार से बेबी डॉल कहते हैं। इस उम्र में इतनी सुन्दर उनके शब्द कम होते सच में ऐसे सदस्य हमें बहुत याद आते हैं, क्योंकि इनसे ऐसे संबंध बन जाते हैं जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने सभी सदस्यों को कहते हैं कि आप अपनी सेहत को देखते हुए अपनी जिम्मेदारी और अपने घरवालों की इजाजत और सहमति से आएँ। क्योंकि सबको इतनी खुशियां मिलती हैं कि उन्हें अपनी सेहत की भी परवाह नहीं होती। मुझे तो सारे सदस्य बहुत ही प्यारे लगते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान मुझे बहुत सुकून और खुशियां देती है। उनका उत्साह और जोश देखते ही बनता है

परन्तु यही हंसते-खेलते, डांस करते हुए ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं तो मन बहुत उदास होता है। यहां तक कि खाना खाने को भी मन नहीं करता।

यही हमारे साथ हुआ। हमारा जोके 2 ब्रांच का बैसाबी का फंक्शन था। सभी सदस्यों में बच्चों जैसा उत्साह था। सभी भांगड़ा, डांस, कविता भरपूर था। सप्ते सदस्यों ने बहुत मेहनत की हुई थी। हमारी बहुत ही प्यारी सदस्य मेरसाथ मिलकर डांस कर रही थी। हमारी 90 वर्षीय प्रभा जी, 80 वर्षीय बीना शर्मा, डॉ. नीलम नाथ और 80

चुनाव आयोग पर सुप्रीम सवाल

भारत में जन्मे हर व्यक्ति को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और सरकार चुनने के लिए मतदान करने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार न केवल संवैधानिक है, बल्कि भावनात्मक भी है। लोकतांत्रिक सरकार के चुनाव के लिए सहागी प्रक्रिया में भाग लेना राष्ट्रीयता और देशभक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वह मतदाता सूची में हर जायज मतदाता का नाम शामिल करे। निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में एसआईआर में 91 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने के बाद बवाल मचा हुआ है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। नारी की समस्याओं का समाधान केवल कानून बनाने से संभव नहीं है। इसके लिए समाज की सोच में परिवर्तन आवश्यक है। हर लड़की को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। महिलाएँ अपने अधिकारों को जानें और उनका उपयोग करें। आर्थिक सशक्तिकरण: रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि नारी का कोई समस्या नहीं है, बल्कि वह हर समस्या का समाधान बनती है। यदि उसे अवसर, सम्मान और समर्थन मिले, तो वह समाज को नई दिशा दे सकती है।नारी को केवल ‘संरक्षण’ नहीं, बल्कि ‘सशक्तिकरण’ की आवश्यकता चाहिए। उसे सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मानता चाहिए। दया नहीं, बल्कि अधिकार चाहिए।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जायमाल्या बागची ने चुनाव आयोग पर तीखे सवाल दाय दिए और उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जता दी। मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ उन लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो नई वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। विकसित कहलाएगा। अब समय आ गया है कि हम केवल नारे न लगाएँ, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी नीतियों में वास्तविक केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी है। अब यह देखा जाएगा कि क्या नई सरकार उसी गति से विकास कर पाती है या उससे आगे निकलती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो विश्व को सरकार पर सवाल उठाने का मजबूत आधार मिल जाएगा। विपक्ष की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय सतना दल और उसके नेता तेजस्वी यादव पहले ही इस बदलाव को जनादेश के खिलाफ बता रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में राजनीतिक संघर्ष और तीखा होगा। विपक्ष यह दिखाने की कोशिश करेगा कि यह बदलाव जनता की इच्छ के बजाय राजनैतिक समीकरणां का परिणाम है, जबकि सत्तारूढ़ राजनैतिक

भारत में जन्मे हर व्यक्ति को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और सरकार चुनने के लिए मतदान करने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार न केवल संवैधानिक है, बल्कि भावनात्मक भी है। लोकतांत्रिक सरकार के चुनाव के लिए सहागी प्रक्रिया में भाग लेना राष्ट्रीयता और देशभक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वह मतदाता सूची में हर जायज मतदाता का नाम शामिल करे। निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में एसआईआर में 91 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने के बाद बवाल मचा हुआ है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। नारी की समस्याओं का समाधान केवल कानून बनाने से संभव नहीं है। इसके लिए समाज की सोच में परिवर्तन आवश्यक है। हर लड़की को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। महिलाएँ अपने अधिकारों को जानें और उनका उपयोग करें। आर्थिक सशक्तिकरण: रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि नारी का कोई समस्या नहीं है, बल्कि वह हर समस्या का समाधान बनती है। यदि उसे अवसर, सम्मान और समर्थन मिले, तो वह समाज को नई दिशा दे सकती है।नारी को केवल ‘संरक्षण’ नहीं, बल्कि ‘सशक्तिकरण’ की आवश्यकता चाहिए। उसे सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मानता चाहिए। दया नहीं, बल्कि अधिकार चाहिए।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जायमाल्या बागची ने चुनाव आयोग पर तीखे सवाल दाय दिए और उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जता दी। मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ उन लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो नई वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। विकसित कहलाएगा। अब समय आ गया है कि हम केवल नारे न लगाएँ, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी नीतियों में वास्तविक केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी है। अब यह देखा जाएगा कि क्या नई सरकार उसी गति से विकास कर पाती है या उससे आगे निकलती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो विश्व को सरकार पर सवाल उठाने का मजबूत आधार मिल जाएगा। विपक्ष की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय सतना दल और उसके नेता तेजस्वी यादव पहले ही इस बदलाव को जनादेश के खिलाफ बता रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में राजनीतिक संघर्ष और तीखा होगा। विपक्ष यह दिखाने की कोशिश करेगा कि यह बदलाव जनता की इच्छ के बजाय राजनैतिक समीकरणां का परिणाम है, जबकि सत्तारूढ़ राजनैतिक

भारत में जन्मे हर व्यक्ति को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और सरकार चुनने के लिए मतदान करने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार न केवल संवैधानिक है, बल्कि भावनात्मक भी है। लोकतांत्रिक सरकार के चुनाव के लिए सहागी प्रक्रिया में भाग लेना राष्ट्रीयता और देशभक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वह मतदाता सूची में हर जायज मतदाता का नाम शामिल करे। निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में एसआईआर में 91 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने के बाद बवाल मचा हुआ है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। नारी की समस्याओं का समाधान केवल कानून बनाने से संभव नहीं है। इसके लिए समाज की सोच में परिवर्तन आवश्यक है। हर लड़की को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। महिलाएँ अपने अधिकारों को जानें और उनका उपयोग करें। आर्थिक सशक्तिकरण: रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि नारी का कोई समस्या नहीं है, बल्कि वह हर समस्या का समाधान बनती है। यदि उसे अवसर, सम्मान और समर्थन मिले, तो वह समाज को नई दिशा दे सकती है।नारी को केवल ‘संरक्षण’ नहीं, बल्कि ‘सशक्तिकरण’ की आवश्यकता चाहिए। उसे सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मानता चाहिए। दया नहीं, बल्कि अधिकार चाहिए।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जायमाल्या बागची ने चुनाव आयोग पर तीखे सवाल दाय दिए और उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जता दी। मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ उन लोगों की या

